

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ जयपुर।

S.B. Criminal Revision Petition No. 1518/2019

माननीय न्यायाधिपति श्री महेन्द्र माहेश्वरी

याची के अधिवक्ता श्री के.सी. शर्मा।
लोक अभियोजक श्री अतुल शर्मा।

:: आदेश ::

29.07.2019

नोटिस जारी हो।

योग्य लोक अभियोजक नोटिस स्वीकार करते हैं।

अयाची संख्या-2 का नोटिस आगामी एक सप्ताह में
वापसी योग्य किया जाता है।

योग्य अधिवक्ता याची को निवेदन अनुसार नोटिस
तामील हेतु दस्ती दिया जावे।

(महेन्द्र माहेश्वरी)
न्यायाधिपति

थावानी/-